REET 2025 LEVEL-1

वंदन बैच

EVS

Demo 03

सामाजिक बुराइयां

Part 02

LIVE 28-12-2024 04:00 PM

TIME TABLE

REET 2025 LEVEL-1 & 2

वंदन बैच

MATHS	GEOGRAPHY	हिंदी	CDP	ENGLISH	संस्कृत
L-1 07AM	L-2 10 AM	L-1&2 11 AM	L-1&2 02 PM	L-1&2 03 PM	L-1&2 03 PM

EVS	PHYSICS	MATHS	POLITY	CHEM+ BIO	HISTORY
L-1 04 PM	L-2 04 PM	L-2 05 PM	L-2 07 PM	L-2 07 PM	L-2 08 PM

Registration Starts from **23rd DEC**

Classes Start from **26th DEC**

JOIN US ON

DOWNLOAD THE RWA APP NOW

Google Play

REET 2025
LEVEL-1 & 2
वंदन बैच
Features
Live Classes
Doubt Group
Class Notes PDF
Mock Test
Experienced Teachers
₹999/-
30% off
Coupon Code: REET30
₹699/-
Registration Starts from
23rd DEC
Classes Start from
26th DEC
JOIN US ON
DOWNLOAD THE
Google Play

कोर्स कैसे PURCHASE करें ?

बाल श्रम
(Child labour)

बाल श्रम(child Labour)-

- बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान के कार्य में लगाया जाना अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त किया जाना, बाल श्रम के अंतर्गत आता है।
- According to the Child Labor (Prohibition and Regulation) Act, 1986, employing a child below 14 years of age in any factory or mine or in any other hazardous employment comes under child labor.

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार- 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वाले लोग बाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं।

According to the United Nations, people who work below the age of 18 years fall under the category of child labourers.

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक- बाल श्रम की उम्र 15 साल तय की गई है।

According to the International Labour Organisation, the age of child labour has been fixed at 15 years.

कारण
(Reason)

बाल श्रम के दुष्परिणाम - इसके परिणामों का बच्चों, समाज और समग्र रूप से राष्ट्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

Harmful effects of child labour - Its consequences have far-reaching effects on children, society and the nation as a whole.

• **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:** इससे बच्चों को हानिकारक कार्य-परिस्थितियों, शारीरिक, मानसिक शोषण और लंबे समय तक श्रम करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप चोटें ,बीमारियाँ और विकास संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।

Health risks: This exposes children to harmful working conditions, physical, mental abuse and long hours of labour, which can result in injuries, diseases and developmental problems.

- शिक्षा से वंचित: कार्यरत बच्चों को प्राय: शिक्षा तक पहुँच से वंचित कर दिया जाता है, जिससे बुनियादी साक्षरता के साथ ही उनके भविष्य के अवसर भी सीमित हो जाते हैं और निर्धनता के चक्र में फंसे रहते है।
- Deprived of education: Working children are often denied access to education, which limits their future opportunities along with basic literacy and keeps them trapped in the cycle of poverty.

• अवरुद्ध विकास: यह बालकावस्था के सामान्य विकास को बाधित करता है, बच्चों को खेलने के समय, सामाजिक संपर्क और भावनात्मक कल्याण से वंचित करता है, उनके शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास में बाधा पहुँचाता है।

• Stunted growth: It disrupts the normal development of childhood, deprives children of play time, social interaction and emotional well-being, hindering their physical, cognitive and emotional development.

बाल श्रम के कारण : Causes of child labour:

- गरीबी Poverty
- शिक्षा की कमी Lack of education
- जनसंख्या वृद्धि Population growth
- नशाखोरी Drug addiction
- उद्योगों में सस्ती दर पर बालश्रमिक उपलब्ध होना Availability of child labour at cheap rates in industries

रोकने के उपाय

- Art 21(A) → शिक्षा का अधिकार (Right of education) → मौलिक अधिकार fundamental
- Art 45 → नीति निदेशक तत्व
- Art 51(A) → मौलिक कर्तव्य

बाल श्रम की रोकथाम के संवैधानिक प्रयास :- Constitutional efforts to prevent child labour: -

- अनु 21 (क):- 86 वें सं. सं. 2002 से जोड़ा गया। इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क व अनिर्वाय शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया।
- Article 21 (a): - Added in 86th Amendment 2002. Under this, free and compulsory education for children aged 6-14 years was declared a fundamental right.
- अनु (23) ÷ बलात् श्रम का निषेध
- Article (23) - Prohibition of forced labour

- अनु (24) :- इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक उद्योगों में लगाना निषेध किया गया |
- **Article (24): - It prohibits the employment of children below 14 years of age in hazardous industries**
- अनु (45):- 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए राज्य प्रयास करेगा कि उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिल सके |
- **Article (45): - The state will make efforts to ensure that children up to the age of 14 years get compulsory and free education.**

- अनु. 51 (क) संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़कर अभिभावक को बच्चों हेतु शिक्षा की व्यवस्था कराने का दायित्व सौंपा गया |

- Article 51 (a) - By adding the 11th fundamental duty in the constitution, the guardian was given the responsibility of arranging education for the children.

अन्य उपाय Other measures

(i) 1979 में भारत में बालश्रम पर अध्ययन करने के लिए गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1986 में CLPR अधि. पारित किया। child labour protection Right - 1986

Prohibition

(i) In 1979, Gurupad Swami Committee was formed to study child labour in India. On the basis of the recommendations of this committee, CLPR Act was passed in 1986. Child labour protection right - 1986

Prohibition

(ii) 26 sept. 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया

(ii) National Child Labour Eradication Authority was formed on 26 September 1994

बाल अधिकार संरक्षण विधि (2016) : बालकों द्वारा किये गये श्रम को रोकने एवं बालश्रम हेतु स्वीकृत कार्य का उल्लेख करने के लिए संसद के द्वारा बालश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनि 1986 में 2016 में संशोधन किया गया|

Child Rights Protection Act (2016): Child Labour (Prohibition and Regulation) Act 1986 was amended in 2016 by the Parliament to prevent labour done by children and specify the work approved for child labour.

बालश्रम हेतु स्वीकृत कार्य : Work approved for child labour:

1. ऐसा कोई भी कार्य जो परिवार अथवा बरेलू सदस्यों द्वारा संचालित हो ।
   Any work which is run by family or local members.
2. Audio-Video Recording जहाँ बच्चे की कला व कौशल को प्रोत्साहन मिले।
   Audio-video recording where the art and skill of the child are encouraged.
3. विज्ञापन, मनोरंजन, खेल एवं प्रशिक्षण से संबंधित कार्य ।
   Work related to advertising, entertainment, sports and training

Note - उपर्युक्त कार्यों में बालक को इस प्रकार नहीं लगाया जा सकता कि उसके शिक्षा के अधिकार का ह्रास हो

Note - A child cannot be engaged in the above mentioned works in such a way that his right to education is impaired

(ii) यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा किसी बालक को नियमों के विरुद्ध किसी कार्य में लगाता है तो न्यूनतम 20000 रु ,अधिकतम 50000₹ जुर्माने अथवा न्यूनतम 6 माह एवं अधिकतम 2 वर्ष की सजा से दण्डित किया जा सकता है |

(ii) If any person violates the provisions of the Act or engages a child in any work against the rules, then he can be punished with a minimum fine of Rs 20000 and maximum Rs 50000 or imprisonment of minimum 6 months and maximum 2 years.

ध्यातव्य रहे- गुरूपदस्वामी कमेटी के अनुसार बालश्रम कानून (प्रतिषेध एवं विनियमन) 1986 के तहत् घरेलू इकाईयों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के नियोजन का निषेद्ध किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर 3 माह से 1 वर्ष का कारावास अथवा 10 से 20 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों ही दण्ड का प्रावधान। सन् 1979 में गठित गुरुपदस्वामी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1987 में एक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का निर्धारण किया गया।

Note - According to the Gurupadaswamy Committee, under the Child Labor Act (Prohibition and Regulation) 1986, employment of children below 14 years of age is prohibited in all types of establishments except domestic units. Violation of this will result in imprisonment of 3 months to 1 year or fine of 10 to 20 thousand rupees or both. Based on the recommendations of the Gurupadaswamy Committee constituted in 1979, the Government of India formulated a National Child Labor Policy in August 1987.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संरचना/Structure of the National Commission for Protection of Child Rights

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 ने मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक पर्यवेक्षण के तहत संचालित होता है। [redacted]....

The Commission for Protection of Child Rights Act 2005 established the Commission for Protection of Child Rights in March 2007. It operates under the administrative supervision of the Ministry of Women and Child Development. [redacted]...

चोरी

- जब कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को बिना अनुमति या बेईमानी से ले लेता है, तो इसे चोरी कहते हैं।
- When a person takes someone's property without permission or dishonestly, it is called theft.

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है।
- Theft is defined in Section 378 of the Indian Penal Code (IPC).

- धारा 379 के तहत चोरी के अपराध में न्यूनतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
- Under Section 379, there is a provision of minimum 3 years of punishment for the crime of theft.

- चोरी का अपराध समझौता योग्य वाद है अर्थात् यदि सम्पत्ति का मालिक चाहे तो समझौता करके मामला समाप्त कर सकता है।

- The crime of theft is a compromiseable case, that is, if the owner of the property wants, he can end the matter by compromise.

- यदि चोरी के साथ हिंसा या हत्या की जाती है तो इसे लूट कहा जाता है जिसमें IPC की धारा 392 के अनुसार 10 वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान है।
- If violence or murder is done along with theft, then it is called robbery, in which there is a provision of 10 years of rigorous punishment according to Section 392 of IPC.

- यदि लूट की घटना सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर होती है तो 14 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
- If the robbery incident takes place on a national highway between sunrise and sunset, then there is a provision of 14 years of punishment.

- IPC की धारा 391 के तहत यदि लूट करने वाले व्यक्ति की संख्या 5 या 5 से अधिक है तो इसे डकैती कहा जाता है।
- Under Section 391 of IPC, if the number of people committing robbery is 5 or more, then it is called dacoity.

- क्लेप्टोमेनिया एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है, जिसमें व्यक्ति को लगातार चीज़ें चुराने की इच्छा होती है।
- Kleptomania is a mental health disorder in which a person has a persistent desire to steal things.